Right to Food Campaign
(Secretariat)

5 A, Jungi House, Shahpur Jat, New Delhi - 110049

Ph: 011- 26499563, Email: righttofood@gmail.com, Website: www.righttofoodindia.org

रोटी भात सत्याग्रह की मांग

सबके लिए सस्ता राशन की मांग

जंतर मंतर, नई दिल्ली

1 नवंबर, 2011

भोजन का अधिकार अभियान ने आज से रोटी भात सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। इस सत्याग्रह की मांग सबके लिए सस्ता राशन की मांग तथा खाद्यान्न सुरक्षा के अन्य उपायों को लागू करना है। देश के विभिन्न भागों से आए कार्यकर्ता इस रोटी भात सत्याग्रह में भागीदार हैं, आज उत्तरप्रदेश के 10 जिलों से आए लोगों ने सभी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

चारों ओर फैली भूख, भुखमरी से मौत की खबरों, कुपोषण की अत्यधिक दर, लगातार भर रहे खाद्यान्न गोदाम तथा बढ़ रही कीमतों के बावजूद अभी तक हमें भारत सरकार की ओर से लोगों को भोजन की गारंटी मुहैया कराने के लिए किसी तरह के गंभीर प्रयास किए जाते नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार बजाय इसके कि जमाखोरी कर रहे निजी क्षेत्र पर शिकंजा कसे, जो तेजी से बढ़ रही महंगाई के लिए जिम्मेदार है, खुद ही अपने खाद्यान्न गोदामों के जरिए जमाखोरी को बढ़ावा देकर महंगाई की आग को और हवा देने में लगी है। यह हाल तब है जब भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में और अनाज रखने के लिए जगह तक नहीं बची है। काफी समय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक भी इंतजार में ही है, तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा तैयार प्रारूप अभी भी अधूरा है। लोगों की ओर से लगातार बढ़ते दबाव तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में मौजूद अतिरिक्त अनाज को बांटने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे।

हाल के कई अध्ययनों से पता चलता है कि जन वितरण प्रणाली के लाभों को लक्षित कर किए गए कई उपायों की वजह से बड़ी संख्या गरीब परिवार इसके दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। जबकि यह बात साफ है कि जिन राज्यों में यह प्रणाली सार्वभौमिक या लगभग सार्वभौमिक है वहां यह बेहद कारगर साबित हुई है। यह भी साबित हुआ है कि जन वितरण प्रणाली का दायरा बढ़ाकर, जारी खाद्यान्न के दाम घटाकर तथा सेवाओं की गुणवत्ता सुधार कर कई राज्यों ने इस प्रणाली को बेहतर किया है तथा खाद्यान्न की बरबादी पर रोक भी लगाई है। आज समय है कि ऐसे प्रयासों का सार्वभौमिकरण किया जाए तथा देश भर में जन वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाए। हमारा मानना है कि इससे (खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण तथा जन वितरण प्रणाली में मोटे अनाज शामिल कर) न केवल सभी अति संवेदनशील परिवारों को इसके दायरे में लाया जा सकेगा, साथ ही कृषि क्षेत्र को भी पुनर्जीवन दिया जा सकेगा।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के 3 अक्टूबर को जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि योजना आयोग के गरीबी के आंकड़ों का इस्तेमाल विभिन्न योजनाओं के लिए शामिल किए जाने वाले लाभान्वितों की संख्या को सीमित रखने के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें यह साफ नहीं किया गया कि सरकारी कार्यक्रमों में कितने परिवारों को वास्तव में शामिल किया जाएगा। इस संयुक्त बयान में कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवारों की पहचान सुनिश्चित

करने के लिए जिस प्रक्रिया के तहत एसईसीसी के आंकड़ों को आधार माना जाएगा वही आंकड़े खाद्य सुरक्षा विधेयक, 'जैसा कि उसका अंतिम स्वरूप' होगा के लिए भी आधार माने जाएंगे। हालांकि, अगर हम खाद्य सुरक्षा विधेयक के मौजूदा प्रारूप को देखें तो यह साफ हो जाता है कि खाद्यान्न के बंटवारे पर लगी 'मनमर्जी की रोक' अब भी एक समस्या की तरह बनी हुई है।

यह देखना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है कि बजाय इसके कि खाद्य सुरक्षा विधेयक तथा अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार का इस्तेमाल सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को मजबूत करने में लगाने के इस मौके का फायदा उठाया जाए, सरकार मौजूदा प्रणाली को हटाकर सीधे नगद भुगतान व्यवस्था लागू करने जा रही है। हम सख्ती के साथ इस योजना का विरोध करते हैं। हाल ही में नौ राज्यों में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्यान्न सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है बल्कि जिन क्षेत्रों में इस प्रणाली ने बेहतर नतीजे दिए हैं वहां गरीब परिवारों ने बड़ी संख्या में नगद भुगतान की बजाय खाद्यान्न सब्सिडी को वरीयता दी।

अगर सभी के लिए भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के ईमानदार प्रयास किए जाएं तो वे तब तक अधूरे रहेंगे जब तक बच्चों के भोजन के अधिकार की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास न साबित हों। स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले पोषण पदार्थ सभी बच्चों को मुहैया कराए जाने चाहिएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एकीकृत बाल विकास परियोजना से संबंधित आदेश में 'गुणवत्ता के साथ सार्वभौमिकरण' पर विशेष जोर दिया है। यह भी कहा गया है कि समाज के वंचित समूहों का अधिकार दिया जाना चाहिए, बुजुर्गों, एकाकी महिलओं व विकलांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मातृत्व अधिकार तथा शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक किचन की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

'रोटी भात सत्याग्रह' के जरिए भोजन का अधिकार अभियान तथा देश भर के अन्य संगठन निम्न मांग करता है:

- सबके लिए सस्ता राशन की मांग जिसमें अनाज, दालें, मोटा अनाज व तेल हो ताकि खाद्य असुरक्षित लोग, कमजोर तबके के लोग इसके दायरे में आ सकें। इसकी मात्रा का आकलन आईएसएमआर के प्रति वयस्क उपभोग की दर पर आधारित होनी चाहिए।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा चावल, गेहूं व मोटे अनाज की विकेंद्रित खरीद सुनिश्चित होनी चाहिए।
- केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में गरीबी आधारित सीमा को पूरी तरह हटा देना।
- एकीकृत बाल विकास योजना का गुणवत्ता के साथ सार्वभौमिकरण जिसमें सभी बच्चों के लिए पोषक तैयार भोजन की सुविधा हो।
- सभी वंचित तबकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार, इसमें बुजुर्ग, एकाकी महिलाएं, विकलांग, मातृत्व अधिकार तथा शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक किचन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

निम्न दस्तावेज संलग्न हैं:

1. भारत सरकार के प्रधानमंत्री को मांग पत्र
2. केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर हमला
3. बीपीएल पर पर्चा
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जगह नगद भुगतान व्यवस्था पर नोट
5. एनएफएसए

The Steering Committee of the Right to Food Campaign:

Annie Raja (National Federation for Indian Women), Anuradha Talwar, Gautam Modi and Madhuri Krishnaswamy *(New Trade Union Initiative),* Arun Gupta and Radha Holla (*Breast Feeding Promotion Network of India),* Arundhati Dhuru and Ulka Mahajan *(National Alliance of People's Movements),* Asha Mishra and Vinod *Raina (Bharat Gyan Vigyan Samiti)*, Aruna Roy, Anjali Bharadwaj and Nikhil Dey *(National Campaign for People's Right to Information),* Ashok Bharti *(National Conference of Dalit Organizations),* Colin Gonsalves *(Human Rights Law Network),* G V Ramanjaneyulu *(Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture),* Kavita Srivastava and Binayak Sen *(People's Union for Civil Liberties*), Lali Dhakar, Sarawasti Singh, Shilpa Dey and Radha Raghwal *(National Forum for Single Women's Rights),* Mira Shiva and Vandana Prasad *(Jan Swasthya Abhiyan),* Paul Divakar and Asha Kowtal *(National Campaign for Dalit Human Rights),* Prahlad Ray and Anand Malakar *(Rashtriya Viklang Manch),* Subhash Bhatnagar *(National Campaign Committee for Unorganized Sector workers),* Jean Dreze and V.B Rawat *(Former Support group to the Campaign,* Ritu Priya (JNU)

Representatives of Right to Food (State campaigns):

Veena Shatrugna, M Kodandram and Rama Melkote(Andhra Pradesh), Saito Basumaatary and Sunil Kaul (Assam), Rupesh (Bihar), Gangabhai and Sameer Garg (Chhattisgarh), Pushpa, Dharmender, Ramendra, Yogesh, Vimla and Sarita (Delhi), Sejal Dand and Sumitra Thakkar (Gujarat), Abhay Kumar and Clifton (Karnataka), Balram, Gurjeet Singh and James Herenj (Jharkhand), Sachin Jain (Madhya Pradesh), Mukta Srivastava and Suresh Sawant (Maharashtra), Tarun Bharatiya (Meghalaya), Chingmak Chang (Nagaland) Bidyut Mohanty and Raj Kishore Mishra, Vidhya Das, Manas Ranjan (Orissa), Ashok Khandelwal, Bhanwar Singh and Vijay Lakshmi (Rajasthan), V Suresh (Tamil Nadu), Arundhati Dhuru and Bindu Singh (Uttar Pradesh)